

राजस्थान सरकार
परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग
क्रमांक: एफ.1(18)परि/स्था/2019/ 4965

जयपुर, दिनांक:- 16/03/2024

आदेश

राजस्थान परिवहन अधीनस्थ सेवा नियम, 1963 के अंतर्गत मोटर वाहन उप निरीक्षक से मोटर वाहन निरीक्षक के पद पर वर्ष 2023-24 की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 14.03.2024 को संपन्न हुई।

समिति द्वारा की गई सिफारिश पर निम्न को मोटर वाहन निरीक्षक (लेवल इन पे मैट्रिक- एल-11) के पद पर एतद् द्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

पदोन्नति वर्ष 2023-24

क्र.स.	नाम	वर्ग	जन्मतिथि	रिक्ति की तिथि
1.	श्री ओंकार मल जांगिड	अनारक्षित	10.07.1963	01.04.2023
2.	श्री अमित कुमार सुडा	अ.जा.	31.07.1981	01.04.2023
3.	श्री मनोज कुमार स्वामी	अनारक्षित	21.01.1982	01.05.2023
4.	श्री योगेश मालाकार	अनारक्षित	12.07.1984	02.05.2023
5.	श्री बनवारी लाल लोदिया	अ.जा.	21.09.1979	02.05.2023
6.	शिवांगी जैन	अनारक्षित	26.12.1991	09.05.2023
7.	श्रीमती आरती चक्रवर्ती	अनारक्षित	02.09.1986	09.05.2023
8.	श्रीमती अल्का ओझा	अनारक्षित	30.06.1976	01.06.2023
9.	श्री असगर अली खान	अनारक्षित	25.06.1972	01.06.2023
10.	श्री विजेन्द्र सिंह शेखावत	अनारक्षित	04.11.1977	30.06.2023
11.	श्री भारतेन्दु पचौरी	अनारक्षित	03.08.1983	01.10.2023
12.	श्रीमती विनिता चतुर्वेदी	अनारक्षित	27.03.1988	01.03.2024
13.	श्रीमती पिकी रानी	अ.जा.	12.05.1991	01.03.2024

श्री नरेन्द्र अवाना, मोटर वाहन उप निरीक्षक के वर्ष 2017-18 के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि के कारण समिति ने इनको पदोन्नति के योग्य नहीं पाया है।

श्री मौहम्मद तौसीफ खान, मोटर वाहन उप निरीक्षक के विरुद्ध एसीबी प्रकरण 343/2021 दर्ज है। विभागीय आदेश दिनांक 20.09.2021 द्वारा अभिरक्षा में लिये जाने की दिनांक 09.09.2021 से निलंबित है। अतः समिति ने इनके पदोन्नति प्रकरण को सील्ड कंवर लिफाफे में रखा जाकर एक पद आरक्षित रखे जाने की सिफारिश की है। श्री मौहम्मद तौसीफ खान की संतान एवं अचल सम्पति घोषणा भी प्राप्त नहीं है।

पात्रता सूची में अंकित निम्न कार्मिकों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन/अभिलेख अपूर्ण है। अतः समिति द्वारा इनके पदोन्नति प्रकरण को डैफर किया जाकर इनके लिए एक-एक पद आरक्षित रखे जाने की सिफारिश की गई है :-

क्र.सं.	पात्रता सूची क्रमांक	नाम	कारण - वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं।
1.	3.	श्री राहुल गोदारा	वर्ष 2017-18,, 2022-23, (02 वर्ष)
2.	4.	श्री प्रवीण विश्नोई	वर्ष 2019-20 पार्ट-II

श्री मनोज कुमार स्वामी एवं श्रीमती पिकी रानी के दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् की संतानोत्पत्ति से जीवित बच्चों की संख्या दो से अधिक हो जाने के कारण तीन भर्ती वर्षों तक पदोन्नति की पात्र नहीं थे। अतः श्री मनोज कुमार स्वामी की पदोन्नति पर वर्ष 2022-23 में प्रथम बार विचार नहीं किया गया। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 के प्रावधान के तहत जिन कार्मिकों की पदोन्नति पर दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान होने पर 5/3 भर्ती वर्षों तक विचार नहीं किया गया था, उन्हें अब नियत तिथि से पदोन्नति दी जायेगी। ऐसे कार्मिकों का पदोन्नति पर वेतन निर्धारण उक्त अधिसूचना के निर्देशों के तहत होगा।

उक्त पदोन्नत कार्मिक को पदोन्नति का काल्पनिक लाभ उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्त तिथि से तथा नकद लाभ वास्तविक रूप से कार्यग्रहण करने की तिथि से देय होगा।

पदोन्नत कार्मिक अविलम्ब अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर नवीन पद पर कार्यग्रहण कर रिपोर्ट मुख्यालय को भिजवायें। पदोन्नत कार्मिकों के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किए जाएंगे।

(गोपाल सिंह)

अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.)
एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: एफ.1(18)परि/स्था/2019/ 4966-76

जयपुर, दिनांक:-16/03/2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ,पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा, राज0, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.), राज., जयपुर।
5. निजी सहायक, उप परिवहन आयुक्त (प्रशा.), राज., जयपुर।
6. नोडल अधिकारी वेबसाईट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
8. संबंधित कार्मिक श्री
9. संबंधित श्री/श्रीमती.....सूचना सहायक को राजकाज में आदिनांक करने हेतु।
10. निजी पत्रावली।
11. रक्षित पत्रावली।

४

अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.)